छत्तीसगढ़ शसन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 3611 / 3026 / 22–1 / 2021 अटल नगर, दिनांक 18/9/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में "सबकी योजना सबका विकास" अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण बाबत।

संदर्भः– भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्रमांक D.O. No.M-11/2/2021-CB दिनांक 06 अगस्त 2021

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जन योजना अभियान (पीपीसी) ''सबकी योजना सबका विकास'' 02 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में किया गया था, ताकि ग्राम पंचायतों को अधिक समग्र और समावेशी पंचायत विकास योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/लाइन विभागों की भागीदारी प्रक्रिया अभिसरण योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020–21 में इसी सिद्धांत पर जिला पंचायत/जनपद पंचायत विकास योजना की शुरुआत की गयी थी । यह अभियान राज्य पंचायती राज विभागों, लाइन विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों के सक्रिय सहयोग से सफलतापूर्वक चलाया गया।

जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की संतोषजनक भागीदारी से प्रेरित होकर अब योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने और इसे सहभागी तथा पारदर्शी बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया ***02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक*** फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अतः ''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान के तहत की जाने वाली गतिविधियों के लिये निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

क्र	समय–सीमा	दिनांक
1	राज्य/जिला/जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का नामांकन	10 सितम्बर 2021
2	Facilitators और अन्य Stakeholders के लिये ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्धारण	10 सितम्बर 2021
3	मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	15 सितम्बर 2021
4	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये Facilitators की नियुक्ति	15 सितम्बर 2020
5	ग्राम सभा/ Virtual ग्राम सभा/पंचायत समिति की बैठक का निर्धारण	20 सितम्बर 2021
6	Facilitators का प्रशिक्षण	20 सितम्बर 2021
7	सहयोगी विभागों के मैदानी अमलो की नियुक्ति	20 सितम्बर 2021
8	जन सूचना बोर्ड की जियोटैग फोटो अपलोड करना	30 अक्टूबर 2021
9	जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत (DPDP, BPDP&GPDP) को प्लान प्लस एप्लीकेशन में अपलोड करना	31 जनवरी 2022

D:/New/general/notesheet&letter

जैसा कि स्पष्ट है कि वर्ष 2022–23 की जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण एक विस्तृत गतिविधि होगी जिसमें सभी 29 क्षेत्र/विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की भागीदारी होगी। इस पूरी प्रकिया की व्यापक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन मॉनिटरिंग होगी। पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक जिला के ग्राम पंचायतों की रेंडम रूप से मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जावेगी। इस कार्य में Facilitator की मुख्य भूमिका होगी। Facilitators के मुख्यतः दो कार्य होंगें :–

1. सभी विभागों से समन्वय कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण करना।
2. सभी जानकारियों एवं जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (DPDP,BPDP&GPDP) निर्माण को ऑनलाईन करना।

अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये पृथक–पृथक Facilitator नियुक्त किया जावे। इसके लिये आवश्यकतानुसार सचिव, ग्राम पंचायत को ही Facilitator बनाया जावे। कार्य व्यापक है, अतः योग्य अधिकारी को ही ग्राम पंचायतवार Facilitator नियुक्त करें तथा आदेश की प्रति एक सप्ताह में पंचायत संचानलालय में प्रेषित करें जिससे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को सूचित किया जा सके।

''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान की सभी गतिविधियों में COVID-19 दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन – जैसे भौतिक दूरी, सभी प्रतिभागियों द्वारा मास्क का प्रयोग एवं स्वच्छता का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(रेणु जी पिल्ले)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./15वें वित्त/1137/पंग्राविवि/2020/3612 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16/9/2021

प्रतिलिपि :–

1- समस्त विभागाध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ।
2- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3- समस्त उप संचालक, पंचायत जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग